भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2494

दिनांक 11.08.2025 को उत्तर के लिए नियत

ई-कॉमर्स के माध्यम से माल और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई को सहायता प्रदान करना

2494. **श्री कार्तिकेय शर्मा:**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एमएसएमई को विभिन्न सरकारी योजनाओं और पहलों के अंतर्गत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने माल और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए क्या सहायता प्रदान की जा रही है;

(ख) बाजार पहुंच और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं की श्रेणी- जैसे डिजिटल ऑनबोर्डिंग, लॉजिस्टिक्स सहायता, विपणन सहायता, प्रशिक्षण और जीईएम या अन्य निजी प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण की क्या-क्या व्यवस्था है;

(ग) ऐसी सहायता से कुल कितनी एमएसएमई लाभान्वित हुई हैं, यदि हां, तो उनकी राज्य-वार और क्षेत्र-वार सूची क्या है; और

(घ) क्या पूरे देश में, विशेष रूप से ग्रामीण और टियर-II या टियर-III क्षेत्रों में, और अधिक एमएसएमई तक पहुंच और डिजिटल सक्षमता का विस्तार करने की योजना है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) एवं (ख): सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से एमएसएमई को अपने उत्पादों और सेवाओं के विपणन में सहायता देने के लिए कई पहलें की हैं। ऐसी ही कुछ पहल/स्कीम इस प्रकार हैं:

i. एमएसएमई मंत्रालय 'एमएसई टीम (व्यापार सक्षमता और विपणन)' पहल का कार्यान्वयन कर रहा है, जो विश्व बैंक द्वारा समर्थित "एमएसएमई कार्य-निष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन (रैम्प)" कार्यक्रम की एक उप-स्कीम है। इस पहल में डिजिटल टूल और मार्गदर्शन के साथ सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को सशक्त बनाने की परिकल्पना की गई है, ताकि वे ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) के साथ एकीकृत करके इसका प्रभावी रूप से उपयोग कर सकें। इससे एमएसएमई अपने ग्राहक आधार का विस्तार करने और अपनी आय में वृद्धि करने में सक्षम होंगे। एमएसई को ऑनबोर्डिंग, डिजिटल कैटलॉगिंग, खाता प्रबंधन, परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स, और पैकेजिंग में सहायता और सहयोग/पथ-प्रदर्शन सहायता प्रदान की जाएगी। इस पहल में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का एक अंतर्निहित घटक भी शामिल है।

ii. एमएसएमई मंत्रालय का ई-खादी इंडिया पोर्टल: यह ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म विशेष रूप से खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों को प्रदर्शित करता है, जिनमें परिधान, किराना, सौंदर्य प्रसाधन, घरेलू सजावट, स्वास्थ्य और कल्याण उत्पाद, आवश्यक वस्तुएँ और उपहार शामिल हैं। यह कारीगरों/बुनकरों और लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों को पोर्टल के माध्यम से सीधे अपने उत्पाद की बिक्री करने में सक्षम बनाता है। इस पोर्टल के माध्यम से प्रामाणिक खादी ट्रेडमार्क उत्पाद उपलब्ध हैं। यह पोर्टल गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) के साथ एकीकृत है।

iii. एमएसएमई मंत्रालय का एमएसएमई ग्लोबल मार्ट: एमएसएमई ग्लोबल मार्ट, एमएसएमई मंत्रालय का एक बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) ऑनलाइन मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म है और जिसका संचालन राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) द्वारा किया जाता है। यह एमएसएमई को घरेलू और वैश्विक खरीदारों से जोड़कर उनके विपणन प्रयासों में सहायता करता है। इस प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन विपणन सहायता, मौजूदगी में वृद्धि, व्यापार लीड तक पहुँच और निविदा जानकारी जैसी कई सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

iv. खरीद और विपणन सहायता (पीएमएस) स्कीम: इस स्कीम का उद्देश्य व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि में एमएसएमई की भागीदारी को सुविधाजनक बनाकर उनके लिए बाजार पहुंच में वृद्धि करना है। यह वार्षिक सदस्यता शुल्क/अंशदान शुल्क/कैटलॉगिंग की लागत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके एमएसएमई ग्लोबल मार्ट पर शामिल होने के लिए भी सूक्ष्म उद्यमों की सहायता करता है।

v. गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को सुगम बनाने के लिए एक सरकारी मंच है, जो सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति को बढ़ाता है। यह सार्वजनिक खरीद के लिए एक केंद्रीकृत और एकीकृत मंच है जो ई-बोली और रिवर्स नीलामी जैसी सुविधाएँ प्रदान करता है।

(ग) एमएसएमई टीम पोर्टल, ई-खादीइंडिया पोर्टल और एमएसएमई ग्लोबलमार्ट पोर्टल से लाभान्वित एमएसएमई की कुल राज्य-वार संख्या **अनुलग्नक-I** में है।

(घ) एमएसएमई टीम पहल 5 लाख सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को लाभान्वित करने की परिकल्पना करती है, जिनमें से 2.5 लाख उद्यम महिलाओं के स्वामित्व वाले होंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, टियर 2 और 3 शहरों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए आउटरीच क्रियाकलापों की योजना बनाई गई है।

अनुलग्नक-I

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2494 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्लोबल मार्ट पोर्टल के अंतर्गत वर्ष 2018 से दिनांक 07.08.2025 तक लाभान्वित एमएसएमई	दिनांक 07.08.2025 तक टीम पोर्टल पर पंजीकृत एमएसएमई
1	अंडमान और निकोबार	78	0
2	आंध्र प्रदेश	3610	48
3	अरुणाचल प्रदेश	21	5
4	असम	731	45
5	बिहार	1861	71
6	चण्डीगढ़	335	2
7	छत्तीसगढ़	1079	25
8	दादरा एवं नगर हवेली	38	0
9	दमण और दीव	45	0
10	दिल्ली	12502	199
11	गोवा	153	2
12	गुजरात	10957	255
13	हरियाणा	3421	95
14	हिमाचल प्रदेश	241	11
15	जम्मू एवं कश्मीर	311	17
16	झारखंड	719	34
17	कर्नाटक	7074	207
18	केरल	1977	61
19	लक्षद्वीप	4	0
20	मध्य प्रदेश	1982	100
21	महाराष्ट्र	21086	825
22	मणिपुर	71	7
23	मेघालय	30	5
24	मिजोरम	11	0
25	नागालैंड	11	20
26	उड़ीसा	8186	42
27	पुदुचेरी	194	6
28	पंजाब	2527	50
29	राजस्थान	3898	155
30	सिक्किम	13	1
31	तमिलनाडु	12309	266
32	तेलंगाना	1510	97
33	त्रिपुरा	48	4
34	उत्तर प्रदेश	12479	208
35	उत्तराखंड	642	50
36	पश्चिम बंगाल	5241	115
	कुल	**115395**	**3028**